2019/00201

फर्द अहकाम

गंगाबिशन बनाम सरकार

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 66/19

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	7/10/21 राजस्थान [illegible] के [illegible] 21 दिनांक [illegible] 21 में पेश [illegible] 21 में दोपहर [illegible] मुण्डली में दिनांक 13/12/2021 पेश हो। पक्षकारों को [illegible] जारी हो।	
13/12/21	पत्रावली आज प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अभियान के रूप मुण्डली में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। तहसीलदार लेगा से वाद ग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल मिसल है। तहसीलदार लेगा की रिपोर्ट अनुसार वादी वाद ग्रस्त भूमि ख.नं. 129/131 में भूमि पत्ति मोहन के कोई जीवित पुत्र अथवा पुत्री नहीं होने से दावे में अंकित सजरा अनुसार विपक्ष के नाम खाता वादी अधिकार चाहता है तथा वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का पेश किया। धारा 80(2) CPC के अनुसार वादी के द्वारा आवश्यक प्रकृति किस प्रकार से है स्पष्ट नहीं किया है। तथा धारा 5(43) आर.ए.एक्ट 1955 के तहत वादी अधिकारी व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कटे। आज दिनांक 13.12.21 को यह निर्णय प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष अभियान के रूप मुण्डली में खुले आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	